प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

जे0 पी0 नगर

सेवा में,

प्रबन्धक,

फाईनवुड जूनियर हाई स्कूल,

बिजनौर रोड, अमरोहा,

जे0 पी0 नगर

पत्रांक सं0 : अ0जू0मा0/ 6018-24 /2006-07 दिनांक 11/01/07

विषयः जूनियर स्तर की अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 26.12.2006 में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये नये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।

2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को विनियम वेजनपैक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म सममाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।

4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विधार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।

6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।

7) अधोहस्ताक्षरी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।

8) विधालयों में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, सभी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनि...

9) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये

10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निशुल्क शिक्षा प्रदान जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की यो... लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षा कक्ष छोटे है वह दस स्क्वायर फिट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठायें तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20×25 का माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय

(योगराज सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जे0 पी0 नगर

पृष्ठांकन सं0: अ0जू0मा0/ /2006-07 दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
4. जिला समाज कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जे0 पी0 नगर।
5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जे0 पी0 नगर।
6. शिक्षा अधिकारी/अधिकारिका नगर क्षेत्र हसनपुर/अमरोहा।
7. सम्बंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रतिउपनिरीक्षक निरीक्षक जे0 पी0 नगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जे0 पी0 नगर

(7)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
ज्योतिबाफुलेनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक

पाईन बुड प्राईमरी स्कूल बिजनौर रोड
नाम ग्रौत्र अमरोहा - - - - - -
ज्योतिबाफुलेनगर।

पत्रांक/मा0अस्थायीमान्यता/ 5844-46 /2003-04 दिनांक 04.08.03

विषय:- विद्यालय को प्राईमरी स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

- -

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक -31-7-2003 में लिये गये निर्णय एवं जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को नियमानुसार अस्थायी मान्यता दिनांक 1-7-2003 से दिनांक- -30-6-2008- तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अनुसार प्रदान की जाती है।

1- विद्यालय भवन निजी बनाया जाये शौचालय एवं पानी की व्यवस्था की जाये।
2- विभागीय आदेशों का अनुपालन किया जाये अनुपालन न करने की दशा में मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
3- समस्त अध्यापक प्रशिक्षित रखें जायें।
4- विभाग द्वारा निर्धारित पाठयक्रम ही स्कूल में पढाया जाये तथा अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के समान वेतन भुगतान ही कराया जाये।
5- विद्यालय का नाम देवनागरी लिपि में ही रखा जाये।

भवदीय

(मनोज कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ज्योतिबाफुलेनगर

पृ0सं0/मा0अस्थायी मा0/ /2003-04 दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, ज्यो0फु0नगर

2- कार्यवाहक उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, ज्योतिबाफुलेनगर।

3- ~~[illegible]~~/नगर शिक्षा अधिकारी--अमरोहा। ज्योतिबाफुलेनगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ज्योतिबाफुलेनगर।